

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राजकुमार शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

उपयंत्री

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उपर दिये, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		•••वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •••खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम-कनासिया ते तराना दि-उज्जैन म.प्र.	गृह	भूमि	(लगभग) २० लाख	पिता	विरासत	NIL	-
		सिंचन भूमि	२० लाख (लगभग)	पिता	विरासत	NIL	
② देवाश लाईफ स्टायिल देवाश		भूखण्ड	०८ लाख	स्वयं	स्वरीदा	NIL	

नोट: 1. तालुका का नाम दर्शाएं।
 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के मन्वर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. इसमें अल्पमतों पर दृष्टि भी सम्मिलित है।
 टिप्पणियाँ: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (अचल) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय वेतनी तथा तृतीय वेतनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पश्चात् यह जोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिनता की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने माता पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के गौर में।

हस्ताक्षर

राजकुमार शर्मा
उपयंत्री